



डॉ० अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 21.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस - नोट

थाना - तहबरपुर, जनपद - आजमगढ़

दिनांक - 21.03.2026

जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

बच्चों के विवाद में हुई मारपीट व धमकी के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना तहबरपुर पुलिस द्वारा 02 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, शेष की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं।

पूर्व की घटना/इतिहास:-

दिनांक 15.03.2026 को आवेदक इन्दल पुत्र बलिराम ग्राम नासिरुद्दीनपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर प्रार्थना पत्र दिया कि उनके विपक्षियों, 01. प्रवेश पुत्र मोती राम 02. जंगबहादुर पुत्र मोती राम 03. उमा पत्नी जंगबहादुर, 04. जंगबहादुर का भांजा नाम व पता अज्ञात 05. निखिल पुत्र गणेश समस्त निवासीगण ग्राम नासिरुद्दीनपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा बच्चों के विवाद को लेकर दिनांक 15.03.2026 को समय करीब 12.00 बजे गाली गुप्ता देते हुए लाठी डण्डा व लात घूसा से मारा-पीटा गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 36/2026 धारा 3(5),115(2),352,351(3) भा0न्या0सं0 बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 05 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 109 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दिया जा रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 21.03.2026 को व0उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 01. जंगबहादुर पुत्र मोती राम, निवासी ग्राम नासिरुद्दीनपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 34 वर्ष 02. प्रवेश पुत्र मोतीराम, निवासी ग्राम नासिरुद्दीनपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष को उनके घर से समय करीब 09.50 बजे नियमानुसार हिरासत में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. जंगबहादुर पुत्र मोती राम, ग्राम नासिरुद्दीनपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 34 वर्ष।
2. प्रवेश पुत्र मोतीराम, निवासी ग्राम नासिरुद्दीनपुर थाना तहबरपुर, आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 36/2026 धारा 3(5),115(2),352,351(3),109 BNS थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. व0उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
2. का0 रोहित पटेल थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
3. का0 अरविन्द कुमार थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

बच्चों के विवाद में मारपीट, जानलेवा हमले के दो आरोपी गिरफ्तार

बच्चों के विवाद ने लिया उग्ररूप, लाठी-डंडों से हमला कर दी जान से मारने की धमकी

मुखबिर की सूचना पर पुलिस की दबिश, दो आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

आजमगढ़। थाना तहबरपुर क्षेत्र के नासिरुद्दीनपुर गांव में बच्चों के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें लाठी-डंडों से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण में दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

घटनाक्रम के अनुसार, 15 मार्च 2026 को ग्राम नासिरुद्दीनपुर निवासी इन्दल ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के ही कुछ लोगों ने बच्चों के विवाद को लेकर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों और लात-धूसों से हमला किया तथा जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में थाना तहबरपुर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई, जिसमें बाद में धारा 109 बीएनएस की बढ़ोत्तरी भी की गई।

शनिवार को पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी जंगबहादुर (34) और प्रवेश कुमार (25) को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को नियमानुसार हिरासत में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं, अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-


1. जंगबहादुर पुत्र मोती राम, ग्राम नासिरुद्दीनपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 34 वर्ष।
2. प्रवेश कुमार पुत्र मोतीराम, निवासी ग्राम नासिरुद्दीनपुर थाना तहबरपुर, आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 36/2026 धारा 3(5),115(2),352,351(3),109 BNS थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- व0उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव, का0 रोहित पटेल, का0 अरविन्द कुमार थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।



प्रेस नोट, दिनांक – 21.03.2026
थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

दहेज हत्या कांड का खुलासा: पति सहित 05 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दहेज उत्पीड़न एवं हत्या के गंभीर प्रकरण में थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पति सहित 05 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:

अवगत कराना है कि दिनांक 19.03.2026 को वादी श्री सुनील विश्वकर्मा पुत्र बेद प्रकाश विश्वकर्मा निवासी गद्दीपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बिलरियागंज पर तहरीर दी गई कि उनकी चचेरी बहन सुनीता (उम्र 26 वर्ष) को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था तथा गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 64/26 धारा 80(2)/85 बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण में दिनांक 21.03.2026 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम राजेन्द्र नगर, कस्बा बिलरियागंज में दबिश देकर वांछित अभियुक्तगण—

1. अजय विश्वकर्मा (पति)
2. रामाश्रय विश्वकर्मा (ससुर)
3. रागनी विश्वकर्मा
4. पूजा विश्वकर्मा
5. शिखा विश्वकर्मा

को समय करीब 12:15 बजे उनके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को नियमानुसार हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:

1. अजय विश्वकर्मा पुत्र रामाश्रय विश्वकर्मा
2. रामाश्रय विश्वकर्मा पुत्र स्व0 रामसुमेर विश्वकर्मा
3. रागनी विश्वकर्मा पुत्री रामाश्रय विश्वकर्मा
4. पूजा विश्वकर्मा पुत्री रामाश्रय विश्वकर्मा
5. शिखा विश्वकर्मा पत्नी राजू विश्वकर्मा

(समस्त निवासी – ग्राम राजेन्द्र नगर, कस्बा बिलरियागंज, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़)

पंजीकृत अभियोग:

1-मु0अ0सं0 64/26 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
गिरफ्तारी स्थान:

ग्राम राजेन्द्र नगर, कस्बा बिलरियागंज, थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम:

1. थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे
2. हे0का0 गांधी यादव
3. का0 विवेक यादव
4. म0का0 मधुबाला यादव

प्रेस विज्ञप्ति,
थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़,
दिनांक- 21.03.2026

दहेज हत्या के मामले में 05 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दहेज के लिए प्रताड़ित कर गला दबाकर हत्या करने का आरोप

पुलिस की दबिश में पति सहित पांच नामजद अभियुक्त गिरफ्तार

आजमगढ़। थाना बिलरियागंज क्षेत्र में दहेज हत्या के गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

घटनाक्रम के अनुसार दिनांक 19.03.2026 को वादी श्री सुनील विश्वकर्मा पुत्र बेद प्रकाश विश्वकर्मा निवासी गद्दीपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बिलरियागंज पर तहरीर दी गई कि उनकी चचेरी बहन सुनीता (उम्र लगभग 26 वर्ष) को उसके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया तथा गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 64/2026 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

इसी क्रम में दिनांक 21.03.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के नेतृत्व में थाना बिलरियागंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पांच नामजद अभियुक्तों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों को विधिक कार्रवाई हेतु हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। अन्य नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. अजय विश्वकर्मा पुत्र रामाश्रय विश्वकर्मा निवासी राजेन्द्र नगर कस्बा बिलरियागंज थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
2. रामाश्रय विश्वकर्मा पुत्र स्व0 रामसुमेर विश्वकर्मा निवासी राजेन्द्र नगर कस्बा बिलरियागंज थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
3. रागनी विश्वकर्मा पुत्री रामाश्रय विश्वकर्मा निवासी राजेन्द्र नगर कस्बा बिलरियागंज थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
4. पूजा विश्वकर्मा पुत्री रामाश्रय विश्वकर्मा निवासी राजेन्द्र नगर कस्बा बिलरियागंज थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
5. शिखा विश्वकर्मा पत्नी राजू विश्वकर्मा निवासी राजेन्द्र नगर कस्बा बिलरियागंज थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 64/2026 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी स्थान:-

अभियुक्तगण का घर, राजेन्द्र नगर कस्बा बिलरियागंज थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे, हे0का0 गांधी यादव, का0 विवेक यादव, म0का0 मधुबाला यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़